जनपद - संतकबीरनगर **प्रेस विज्ञप्ति** **दिनॉक 20.03.2023**

आज दिनांक 20.03.2023 को अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन, गोरखपुर **श्री अखिल कुमार** पुलिस महानिरीक्षक बस्ती परिक्षेत्र, बस्ती **श्री आर0के0 भारद्वाज** के निर्देशन, पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर **श्री सत्यजीत गुप्ता** के मार्गदर्शन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में सन्तकबीरनगर पुलिस द्वारा किये गये सराहनीय कार्य–

अवैध शराब निष्कर्षण, बिक्री के खिलाफ की गई कार्यवाही के अन्तर्गत 04 ली0 अवैध अपमिश्रित शराब, 500 ग्राम यूरिया, 01 अदद पतीला, 01 अदद लोहे का ड्रम मय शराब बनाने के उपकरण सहित 01 अभियुक्त गिरफ्तार

थाना धनघटा पुलिस द्वारा 04 ली0 अवैध अपमिश्रित शराब, 500 ग्राम यूरिया, 01 अदद पतीला, 01 अदद लोहे का ड्रम मय शराब बनाने के उपकरण के साथ अभियुक्त नाम पता रामपल्टन निषाद पुत्र श्री निषाद निवासी भोतहा थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर थाना धनघटा पर मु0अ0सं0 160/2023 धारा 272 भा0द0वि0 व 60/60(1) आबकारी अधिनियम पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- उ0नि0 श्री धर्मेन्द्र कुमार मिश्र, उ0नि0 श्री रामाराम, का0 लवकेश यादव, का0 संतोष यादव, का0 पंकज यादव, का0 गौरव चौहान।

एक ही जमीन को धोखाधड़ी के माध्यम से बार बार बेचने के मामले में वॉंछित अभियुक्त गिरफ्तार

थाना दुधारा पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 212 / 2022 धारा 419/420/467/468/471/323/504/506 भा0द0वि0 से संबंधित अभियुक्त नाम पता मोहम्मद आरिफ पुत्र मोहम्मद आमीन निवासी पकड़ी आराजी थाना दुधारा जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

विदित हो कि उक्त अभियुक्त द्वारा एक ही जमीन को धोखाधड़ी के माध्यम से बार बार दूसरे के नाम किया गया था तथा शिकायत करने पर वादी के साथ मारपीट व गाली गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी गयी थी, जिसके संबंध में वादी द्वारा थाना स्थानीय पर अभियोग पंजीकृत कराया गया था, दुधारा पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए उक्त आरोपी अभियुक्त को आज दिनांक 20.03.2023 को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस का विवरणः- प्रभारी निरीक्षक थाना दुधारा श्री अनिल दूबे, हे0का0 संजीत यादव, का0 इन्द्रेश राजभर।

पीआरवी आफ द डे

पीआरवी 1485 द्वारा अनियंत्रित ट्रैक्टर के झोपड़ी पर चढ़ जाने के कारण 03 लोगों को पहुँचाया गया अस्पताल– पीआरवी 1485 को थाना को0 खलीलाबाद क्षेत्रांतर्गत मंझरिया गंगा से इवेन्ट संख्या 13634 से कालर ने अनियंत्रित ट्रैक्टर के झोपड़ी पर चढ़ जाने के कारण 03 लोगों (सुधीर पुत्र प्रसादीमन, प्रीति पुत्र सुधार, हेमन्ती पत्नी सुधीर निवासीगण नालन्दा बिहार) के घायल होने के सम्बन्ध में सूचना दिया, सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा घटनास्थल पर तत्काल पहुँचकर दुर्घटना में घायल हुए लोगों को इलाज हेतु जरिए एंबुलेंश से जिलाअस्पताल भेजवाया गया तथा घटना के सम्बन्ध में थाना को0 खलीलाबाद को अवगत कराया गया । पीआरवी कर्मियों की सतर्कता एवं सूझबूझ से घटना स्थल पर समय से पहुंचकर दुर्घटना में घायलों को अस्पताल भेजवाकर उनकी जान बचाई गयी, जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गई ।

पीआरवी स्टाफ –मु0आ0 रामचन्द्र यादव, आ0 हरिशंकर गौड़, आ0चा0 सर्वेश कुमार मिश्रा ।

शान्ति भंग (151/107/116 सीआरपीसी) मे 14 अभियुक्त गिरफ्तार

- **थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा** 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 04 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया ।
- **थाना धनघटा पुलिस द्वारा** 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 06 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।
- **थाना महुली पुलिस द्वारा** 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 02 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया ।
- **थाना मेंहदावल पुलिस द्वारा** 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 02 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया ।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 92 वाहनो से 78,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनांक 20.03.2023 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 92 वाहनों से 78,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया ।